Cr.A.No. 751/2001 & Cr.A.No. 1093/2001

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दांडिक अपील क्रमांक. 751 का 2001

अपीलकर्ता नारायण, पुत्र विश्वनाथ राजपूत, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी विजय नगर, खमतराई, थाना- खमतराई, रायपुर।

बनाम

उत्तदातागण छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील क्रमांक 1093 का 2001

अपीलकर्ता विजय पुत्र नागेंद्र सिंह सेन, उम्र लगभग 35 वर्ष, व्यवसाय- निजी सेवा, निवासी शुक्रवारी बाजार गुढ़ियारी, थाना गुढ़ियारी, जिला रायपुर।

बनाम

उत्तदातागण छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री वी.सी.ओटलवार और श्री राजीव श्रीवास्तव, अपीलकर्ता- नारायण के अधिवक्ता, सीआर.ए क्रमांक 751/2001.

अपीलकर्ता विजय के अधिवक्ता श्री सूर्यकांत मिश्रा, सीआर.ए क्रमांक 1093/2001.

राज्य सरकार की ओर से उप-शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव, दोनों अपीलों में।

निर्णय
(20.07.2007)

न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा

(1) यह निर्णय दोनों दांडिक अपीलों के निपटारे को नियंत्रित करेगा क्योंकि वे विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 82/2000 में विशेष न्यायाधीश (एससी और एसटी [अत्याचार निवारण] अधिनियम), रायपुर द्वारा पारित 8 अगस्त, 2001 के एक समान निर्णय से उत्पन्न हुए हैं, जिसके अधीन अपीलकर्ताओं को धारा 376 (2) (छ) भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्ध

किया और 10 साल के लिए सश्रम कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया, जुर्माना न भरने पर 6 महीने के लिए सश्रम कारावास को भुगतना होगा।

(2) अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (छ) सहपठित अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे आगे विशेष अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे।

(3) संक्षिप्त तथ्य यह है कि सुसंगति समय पर, अभियोक्त्री, श्रीमती सुनीता बाई (अ.सा.-8) एक प्लाई वुड फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम कर रही थीं। वह घटना की तारीख से ठीक 2 दिन पहले उक्त काम में शामिल हुई थीं। फैक्ट्री में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें अपीलार्थी नारायण राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा था। आरोप यह है कि 22.8.2000 को लगभग 1.00 बजे दोपहर में, नारायण ने अभियोक्त्री को एक विशेष कमरे में झाड़ू लगाने के लिए बुलाया। पहले तो उसने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह अन्य मजदूरों को बुला सकता है, लेकिन जब उस पर जोर दिया गया, तो वह काम करने के लिए कमरे के अंदर चली गई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, दोनों अपीलकर्ता वहां आ गए, नारायण ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे जमीन पर लिटा दिया, जिसके बाद विजय ने उसके कपड़े उतार दिए और उसके साथ जबरदस्ती संभोग किया। वह शोर नहीं मचा सकी क्योंकि नारायण ने उसका मुंह बंद कर दिया था। जब वे परिसर से चले गए, तो उसने एक श्री तिवारी को कहानी सुनाई और उसके बाद अपने घर गई और श्रीमती किरण सक्सेना (अ.सा.7) को कहानी सुनाई और जब उनके पति सुनील कुमार (अ.सा.-9) शाम को घर आए, तो उन्होंने उन्हें भी कहानी सुनाई और उसी दिन रात के करीब 10 बजे पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्स-पी/7) दर्ज की गई।

(4) जांच के दौरान, अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया और 23.8.2000 को अपराह्न लगभग 3.40 बजे महिला डॉ. एस. सिंह ने उसकी जांच की, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट एक्स-पी/1-ए तैयार की। रिपोर्ट के अनुसार, उसके जाघ के साफ बाल नहीं मिले थे और बाहरी चोटें थीं, हाइमन पुराना फटा हुआ था, योनि में दो उंगलियां आसानी से प्रवेश रही थी और गर्भाशय सामान्य आकार का था। उन्होंने राय दर्ज की कि हाल ही में संभोग के कोई संकेत नहीं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

थे। अपीलकर्ता विजय को भी चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया और डॉ. संतोष भंडारी (अ.सा-3) ने उसकी जांच की, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट एक्स-पी/5 तैयार की, जिसके अनुसार, वह संभोग करने में सक्षम था।

(5) सुनवाई के दौरान, विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को धारा 376 (2) (छ) भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्ध किया। हालाँकि, उन्हें विशेष अधिनियम की धारा 3(2) (**v**) के अधीन लगाए गए आरोपों से इस आधार पर बरी कर दिया गया कि यह सिद्ध नहीं हो पाया कि उपरोक्त अपराध इस आधार पर किया गया था कि पीड़िता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्य थी और अपीलकर्ताओं को इसकी जानकारी थी।

(6) अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि अभियोक्त्री पक्ष की गवाही पर आधारित है, जो कन्हैया (अ.सा.-4), श्रीमती किरण सक्सेना (अ.सा.-7), सुनील कुमार (अ.सा.-9) के साक्ष्य और प्रथम सुचना (एक्स-पी/7) की विषय-वस्तु द्वारा समर्थित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोक्त्री पक्ष का साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होता है क्योंकि उसमें कई विसंगतियाँ हैं। उसने बलात्कार के समय या बाद में किसी भी समय शोर नही मचाया।, कारखाने के परिसर के एक कमरे में बलात्कार संभव नहीं था और अगर कुछ हुआ है, तो इस मामले में उसकी सहमति देने वाली पक्षकार होने की संभावना को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया। घनश्याम बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1988-**II** एमपीडब्लूएन (129) के मामलों में उच्च न्यायालय ने दिया राजू बनाम एमपी राज्य, 1987-1 (12) और नन्हेजी उर्फ कुंजीलाल लोधी बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 2000 (1) एमपीएलटी नोट 19 का संदर्भ दिया। उन्होंने उदय बनाम के मामलों में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों का भी संदर्भ दिया। कर्नाटक राज्य, 2003 एआईआर एससीडब्लू 1035 और दिलीप सिंह बनाम दिलीप कुमार बनाम बिहार राज्य, 2004 एटीआर एससीडब्लू 6479।

(8) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (पूर्वोक्त) के तीन निर्णयों में, उन मामलों के प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों में बलात्कार की संभावना की जाँच करके बरी किए गए थे। अभियोक्त्री पक्ष

का आचरण उसे सहमति देने वाला पक्षकार मानने के लिए कैसे उत्तरदायी बनाता है, क्या किसी दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में बलात्कार होने की संभावनाएँ थीं, क्या अभियोक्त्री पक्ष की एकमात्र गवाही जो उसके अप्राकृतिक आचरण को दर्शाती है और यह चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, ये वे प्रश्न हैं जिन पर इन मामलों में निर्णय लिया गया है। इसलिए, उक्त निर्णयों को उनके आवश्यक निहितार्थों के लिए सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं और उनकी स्वतंत्र रूप से जाँच की जानी है और उसके बाद ही कोई दृष्टिकोण बनाया जाना है।

(9) इस मामले में, अभियोक्त्री ने यह बयान दिया है कि जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, अपीलकर्ता नारायण ने उसे पकड़ लिया, उसका मुँह बंद कर दिया और उसके बाद उसे ज़मीन पर पटक दिया और फिर दूसरे अपीलकर्ता विजय ने उसके कपड़े उतार दिए और उसके साथ बलपूर्वक यौन संबंध बनाए। उसने अपने परीक्षण के पैरा 2 में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यौन संबंध बनाते समय भी नारायण ने उसका मुँह बंद कर रखा था, इसलिए वह शोर नहीं मचा सकी। जहाँ तक अपीलकर्ताओं के जाने के बाद भी शोर न मचाने के घटना के पश्चात के आचरण का सवाल है, यह एक स्वाभाविक आचरण प्रतीत होता है। एक महिला के यौन उत्पीड़न के बाद उसके सामने कई कारक आते हैं और उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार, वह इस समय यह निर्णय लेती है कि ऐसी स्थिति में शोर मचाना है या नहीं?, मामले की रिपोर्ट दर्ज करानी है या नहीं? विवाहित महिला के मामले में पति पर क्या प्रतिक्रिया होगी? अविवाहित लड़की के मामले में अभिभावकों और परिवार के अन्य सदस्यों पर क्या प्रतिक्रिया होगी, इत्यादि। इस तरह चुप रहने से न तो झूठे आरोप लगाने की संभावना बनती है और न ही पीड़िता की सहमति। ऐसा भी हो सकता है कि सामूहिक बलात्कार जैसी घटना के बाद पीड़िता अवसादग्रस्त हो जाए और वह कुछ कह पाने की स्थिति में भी न हो, तो चिंता की उम्मीद करना अतिशयोक्ति होगी। इसलिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क कि केवल इस आचरण के आधार पर पीड़िता पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किए जा सकते।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) अभियोक्त्री पक्ष के शरीर पर कोई चोट न मिलने और झूठे फंसाने की संभावना से संबंधित अन्य तर्क भी अभियोक्त्री पक्ष के संपूर्ण साक्ष्य के दृष्टिकोण में स्वीकार नहीं किए जा सकते। बेशक, अभियोक्त्री पक्ष एक विवाहित महिला थी और उसके निजी अंग में आंतरिक चोट आने की शायद ही कोई संभावना होगी। जहां तक बाहरी चोटों का सवाल है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे बल की प्रकृति और इस्तेमाल की गई जगह, सतह की स्थिति और जिस तरह से पीड़िता ने खुद को दोषियों के अधीन किया। वर्तमान मामले में, दो व्यक्तियों ने बल का प्रयोग करके महिला पर काबू पा लिया था, जिस पर वह पूरी तरह से उनके शारीरिक नियंत्रण में आ गई थी, इसलिए बाहरी चोट आने की शायद ही कोई संभावना होगी।

(11) जहां तक सहमति देने वाले पक्ष की संभावना से संबंधित तर्क का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सहमति और समर्पण में अंतर है और प्रत्येक सहमति में समर्पण शामिल होता है लेकिन इसके बाद कोई समझौता नहीं होता है और केवल समर्पण करने के कार्य में सहमति शामिल नहीं होती है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिलीप सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में उदय के मामले (पूर्वोक्त) के निर्णय का हवाला देते हुए और **राव हरनारण सिंह बनाम राज्य, एआईआर 1958 पंजाब 123** के मामले में पंजाब उच्च न्यायालय दिये गये निर्णय के मंजूरी देते हुए कहा। वर्तमान मामले में, एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि अभियोक्त्री पक्ष घटना की तारीख से सिर्फ 2 दिन पहले कारखाने में शामिल हुई थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके और अपीलकर्ता-विजय के बीच पुरानी अंतरंगता थी। यदि वह अपीलकर्ता विजय के साथ सहमति देने वाला पक्षकार होता, तो सबसे पहले, वह विजय के साथ दूसरे अपीलकर्ता-नारायण को अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों में शामिल नहीं करती। दूसरे, उसके पास इन तथ्यों को अ.सा.-7 किरण सक्सेना, जो उसकी पड़ोसी थी और जो उसे नौकरी के लिए कारखाने में ले गई थी और उसके पति सुनील कुमार (अ.सा.-9) को बताने का कोई कारण नहीं था। यह अभियोक्त्री या बचाव पक्ष का मामला नहीं है कि यौन संभोग के दृश्य को कारखाने में किसी व्यक्ति ने देखा था, इसलिए, अभियोक्त्री पक्षद्रोही है और असहमतिपूर्ण तरीके से आचरण करना शुरू कर दिया। यह किरण सक्सेना (अ.सा.-7) के साक्ष्य में आता है कि उसने अभियोक्त्री को घर में रोते हुए देखा था और जब उन्होंने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है, तो उसने उन्हें

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कहानी सुनाई। ये सभी कारण हैं जो अभियोक्त्री की सहमति देने वाले पक्ष होने की संभावना को निरस्त करते हैं। इस न्यायालय की राय में, वास्तव में, वह दो अपीलकर्ताओं द्वारा अधिक बलपूर्वक दबा दी गई थी और वह उनके शारीरिक नियंत्रण में चली गई अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई बल नहीं है तथा हमें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(12) अंत में, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोक्त्री पक्ष की गवाही में मामूली विसंगति के बारे में तर्क दिया, मैंने अभियोक्त्री पक्ष की गवाही का अध्ययन किया है। ये विसंगतियां उसकी विश्वसनीयता की जड़ तक नहीं जाती हैं। यह एक पुराना स्थापित सिद्धांत है कि मामूली विसंगतियों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। विसंगतियां जो मामले की जड़ तक नहीं जाती हैं और गवाहों के मूल संस्करण को हिलाती हैं, इसलिए उन्हें अनुचित महत्व नहीं दिया जा सकता है। खासकर जब सभी महत्वपूर्ण "संभावना-कारक" गवाहों द्वारा सुनाई गई कहानी के पक्ष में गूंजते हैं। कृपया ***भरवाड़ा भोगिनभाल हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य देखें। एआईआर 1983 एससी 753.*** देखे यह भी सुस्थापित है कि जब अभियोक्त्री पक्ष का संस्करण न्यायालय का विश्वास जगाता है और न्यायालय को उसकी गवाही पर भरोसा करना उचित लगता है यह भी याद रखना चाहिए कि बलात्कार के मामले में पीड़िता की स्थिति एक घायल गवाह के बराबर होती है और यौन उत्पीड़न की पीड़िता का साक्ष्य एक घायल गवाह के साक्ष्य के बराबर होता है। जिस प्रकार एक घायल गवाह इस अर्थ में सर्वश्रेष्ठ गवाह होता है कि उसके द्वारा वास्तविक अपराधी को दोषमुक्त करने की संभावना सबसे कम होती है, उसी प्रकार यौन अपराधी की पीड़िता का साक्ष्य, पुष्टिकरण के अभाव के बावजूद, अत्यधिक महत्व का होता है। कृपया ***भरवाड़ा भोगिनभाल हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य देखें। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु राज्य बनाम रवि नेकिरु 2006 (7) एसबीआर 264 के मामले में बलात्कार पीड़िता के मामले में संदर्भित एआईआर 1983 एससी 753.***

(13) यदि हम अन्य साक्ष्यों के आलोक में अभियोक्त्री के साक्ष्य की जाँच करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता विजय द्वारा उसके साथ बलपूर्वक यौन संबंध बनाए गए थे, जिसमें दूसरे अपीलकर्ता ने उसकी सहायता की थी। सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की धारा 376 (2) (छ) के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराकर कोई विधि की त्रुटि नहीं की है।

14) अपीलों में कोई बल नहीं है। तदनुसार, उन्हें निरस्त किया जाता है। सत्र न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडदेश की पुष्टि की जाती है।

सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translate by Ankita Awasthi

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur